अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

37/2022/225

रुकमणी V/s चन्दादेवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/37 श्री दीपक पारीक श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी-2 ~~रूकमणी देवी बनाम चन्दा देवी वगैरह~~	

28.01.22

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन (पार्टहर्ड) पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट के ब्रीफ होल्डर एवं अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 02) उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट के ब्रीफ होल्डर ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और अप्रार्थी जो प्रार्थीया की आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है उसके पाबंद फरमाया जावें कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने व प्रार्थीया की आराजी पर निर्माण नहीं करे जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहतजे हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमा दी गई कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है जिसको जरिए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अस प्रकार की फाईन्डिंग देकर अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम अनुतोष खारिज फरमा दिया जो कि नैसगिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की आराजी पर निर्माण करने पर आमादा है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ड्यूटी होती है कि सूट, लैण्ड को प्रोटेक्ट किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। ऐसा नहीं कर पूर्णतः गलत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2021 की आड़ में अपीलांट की आराजी पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है, जिसे रोका नहीं गया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावें कि वह प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में दखल अंदाजी व मजाहमत नहीं करें, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, मौके से बेदखल नहीं करें, राजस्व रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.01.2021 को अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रथम दृष्टया रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर नियत दिनांक 09.02.2022 को पेश हो, के आदेश पारित किये है, जो कि विधि सम्मत है क्योंकि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जो अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के अन्तरिम आदेश दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

37/2022/225 कलगणी V/S चन्दा देवी

तारीख	2022/37 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री श्री
07.01.2022	में प्रस्तुत की हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। हम न्यायहित में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू को निर्देशित करना उचित समझते है। अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों को सुनकर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। अभिभाषक उभयपक्ष एवं पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के समक्ष दिनांक 07.02.2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... जारी ...